

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

B/4811


क्रमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 30/09/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 816/गोपनीय/2022 जबलपुर दिनांक 17.08.2022 द्वारा श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान) (Super Time Scale) रूपये 70290-1540-76450/- में पुनरीक्षित दिनांक से नियुक्ति होने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2109/2018/21-ब(एक) दिनांक 28.04.2018 एवं क्र. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

सुपर समय वेतनमान में पूर्व में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक /पुनरीक्षित दिनांक	नियुक्ति दिनांक को चयनग्रेड वेतनामान 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में प्राप्त वेतन व दिनांक तथा सुपर समय वेतनमान में आगामी वे0वृ0 का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
01.07.2019	01.01.2019	65830/- 08.09.2018 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	70290/- 71830/- 73370/- 74910/-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम.)

B/4812

पृष्ठांकन क्रमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 30/09/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम/इन्दौर/रायसेन/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।



रजिस्ट्रार(एम.)